



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक...109...../2017

दिनांक 08/03/2017

विषय:-छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की "मुख्यमंत्री जन आवास योजना" में भवन मूल्य पर छूट देने तथा समयावधि बढ़ाने बाबत।


—000—

मण्डल द्वारा 51वाँ मण्डल सम्मिलन में आदेश क्रमांक 77/2016 दिनांक 21.11.2016 द्वारा आदेशित किया गया की दिनांक 15.12.2016 तक ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों के आबंटियों द्वारा पूर्ण राशि 60 दिवस में जमा करने पर मूल्य में (10+3) 13 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है एवं एम.आई.जी./एच.आई.जी. भवनों के मूल्य में पूर्ण राशि 60 दिवस में जमा करने पर (10+2) 12 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है तथा आबंटी द्वारा भवन की संपूर्ण राशि आबंटन तिथि से 60 दिवस के पश्चात् तथा 120 दिन के अंदर जमा की जाती है तो भवन के मूल्य पर 10 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

वर्तमान में हितग्राहियों के कठिनाई को देखते हुए विविध प्रक्षेत्र कार्यालयों में विक्रय हेतु उपलब्ध भवनों के मूल्य में उक्त छूट दिनांक 31.03.2017 तक जारी रखने हेतु मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में आदेश क्रमांक 103 दिनांक 31.12.2016 द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक छूट जारी रखने अनुमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 52वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 16.01.2017 की पद संख्या क्रमांक 25 के पारित संकल्प क्रमांक 1495/25/52/01/2017 द्वारा उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही पर विचार कर सर्वसम्मति से कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए तथा अन्य कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया है।

(आदेशानुसार)


मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल


मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

पृ.क्र.564/स.प्र.शा./मु.सं.अधि./मुख्या/फा.नं.-138/2017 नया रायपुर, दिनांक 08/03/2017

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर, मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।

2. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
4. अपर आयुक्त-I/II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
7. उपायुक्त-I/II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
9. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
10. लेखा अधिकारी-I/II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/राज. परि.संभाग-01/02,रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द्र/जंगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/विद्युत संभाग-01 नया रायपुर/विद्युत संभाग 02 रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
12. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03/04/05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जंगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द्र/की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
14. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।



मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर